चोरी व नकबजनी की योजना बनाने वाले आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 1,000 रू0 का अर्थदण्ड

श्रावस्ती 25 जुलाई (भि0टा0सं0)। विदित है कि महत्वपूर्ण व चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन/पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।

इसी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा स्वयं महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है और निरंतर इन महत्वपूर्ण व चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित भी किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल, शासकीय अधिवक्ता, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार,मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24.07.2025 को माननीय न्यायालय जेएम प्प जनपद बहराइच ने थाना को0 भिनगा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/1987 धारा 401 भादवि बनाम राम समुझ पुत्र लखन उर्फ खरहे निवासी कोदिनपुरवा दा0 राजगुरू जुड़पनिया थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को मय आला नकब के साथ चोरी व नकबजनी की नियत से योजना बनाते हुए पकड़े जाने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।